ऑन लाईन नं. GCMS 2022/10

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03/2022

श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

श्री अनोप सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपुरोहित, —विक्रेता एवं मालिक—

मैसर्स :— जोधपुर स्वीट कॉर्नर, 5 सी ब्लॉक, रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर।

निवासी :— बड़ा मन्दिर काम्पलेक्स रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 26.06.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसुचित किया है जिसमें कम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया एवं आदेश कमांक 308 दिनांक 04.09.2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा मेरा कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया था जिसके अनुसार समस्त राजस्थान मेरा कार्यक्षेत्र है। (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2021 को दोपहर बाद 12.30 पी.एम. पर अनोप सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपुरोहित निवासी बड़ा मन्दिर काम्पलेक्स रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर फर्म मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर, 5 सी ब्लॉक, रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिवय दिया। वहां फर्म पर श्री अनोप सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपुरोहित निवासी बड़ा मन्दिर काम्पलेक्स रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर फर्म मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर, 5 सी ब्लॉक, रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था को अपना परिवय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे मौके पर स्वयं की आई.डी. प्रूफ की प्रति, फूड लाईसैंस, की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर दौराने निरीक्षणार्थ **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** दुकान में एक एल्युमिनियम के भगोने में लगभग 10 किलो **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** मौके पर विकय हेतु रखी थी, **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखी **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** में से वास्ते नमूना जांच 2 किलो नमूना वास्ते लिया। विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म सांख्या 5ए की प्रति नमूना

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात 2 किलोग्राम **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** ली, जिसके पेटे 640/- रूपये नगद देकर गवाहान , विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** को 4 साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शिशियों में बराबर-बराबर डाला। चारों शिशियों में 40-40 बुन्दे प्रिजरवेटिव फार्मेलीन की डाली। प्रत्येक बोतल पर ढक्कन लगाकर कस कर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर **के-1153** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के-1153** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के-1153 केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता अनोप सिंह ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक-एलएस/116/एक्ट/2021/115 दिनांक 12.04.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के-1153 केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** (Extraneous matter) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अनोप सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपुरोहित निवासी बड़ा मन्दिर काम्पलेक्स रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर फर्म मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर, 5 सी ब्लॉक, रविन्द्र पथ रोड, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 07.02.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :

1. यह है कि परिवाद की वरण संख्या 1 में राजपत्र अधिसूचना से सम्बन्धित है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त वरण सत्य अंकित किए गए है।
2. यह कि आवेदन पत्र की वरण संख्या 2 स्वीकार है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

3. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 स्वीकार नही है। सन्दीप अग्रवाल कभी भी जोधपुर स्वीट कॉर्नर पर नहीं आए व ना अनोप सिंह से मिले। परन्तु फुट लाईसैंस की प्रति उनको दी गई थी। उक्त तथ्य स्वीकार है।
4. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार नहीं है। दुकान मे किसी प्रकार की कोई एल्युमिनियम के भगोने में 10 किलोग्राम केसर बाटी आम जनता को विक्रय करने के लिए नही रखी हुई थी ना ही किसी प्रकार की जांच की गई व ना ही कोई नमुना जांच लिया गया तथा ना ही गवाह रखा गया। मात्र अनोप सिंह प्रार्थी को परेशान करने के लिए उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई थी।
5. यह कि किसी प्रकार के 640/–नगद दिए गए थे व ना ही नमुना जांच खरीद किया गया था व ना ही कोई हस्ताक्षर करवाए गए थे। उक्त सभी घटनाए फर्जी है।
6. यह कि परिवाद की चरण संख्या 6 स्वीकार नही है क्योंकि उक्त कार्यवाही कब की गई व कहा पर की गई किन गवाहों के समक्ष की गई स्पष्ट नही है। परन्तु इस चरण में यह कथन कि फर्द मौका तैयार किया, विक्रेता एवं मालिक व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए स्वीकार है क्योंकि उक्त हस्ताक्षर अप्रार्थी व गवाहों से बाहर गाडी में करवाए गए थे।
7. यह कि परिवाद की चरण संख्या 7 में अंकित कथन विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित है जिसके जवाब की आवश्यकता प्रार्थी को नही है।
8. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 8 स्वीकार है।
9. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 9 स्वीकार है।
10. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 9 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से कोई मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के उपनियम 2,4,2(6) के अन्तर्गत अपराध नहीं किया परन्तु अगर न्यायालय प्रार्थी को सैक्शन 54 में वर्णित जुमाना नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी पर लगाते है तो प्रार्थी उक्त जुर्माना न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है।
11. यह कि परिवाद की चरण संख्या 7 में अंकित कथन दस्तावेजो से सम्बन्धित है जिसके जवाब की आवश्यकता प्रार्थी को नही है।
12. यह कि परिवाद की चरण संख्या 12 में वर्णित एफएसएस एक्ट की धारा 26 उपधारा 2(ii) का कोई उल्लधन अप्रार्थी अभियुक्त अनोप सिंह द्वारा नहीं किया गया है फिर भी न्यायालय अप्रार्थी को धारा 54 के अन्तर्गत नरमी का रूख अपनाते हुए कोई जुर्माना लगाते है तो प्रार्थी यह भी देने को तैयार है।

अत: जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त पत्रावली में प्रार्थी के खिलाफ अमल में लाई गई कार्यवाही को ड्रोप किए जाने का आदेश पारित किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** का सैम्पल **के–1153** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/116/एक्ट/2021/115 दिनांक 12.04.2021 द्वारा सब (Extraneous matter) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 54 मे निर्धारित है। जिसमे अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी की दुकान में किसी प्रकार की कोई एल्युमिनियम के भगोने मे 10 किलोग्राम केसर बाटी आम जनता को विकय करने के लिए नही रखी हुई थी ना ही किसी प्रकार की जांच की गई व ना ही कोई नमुना जांच लिया गया तथा ना ही गवाह रखा गया। मात्र अनोप सिंह प्रार्थी को परेशान करने के लिए उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई थी। उक्त कार्यवाही कब की गई व कहां पर की गई किन गवाहों के समक्ष की गई स्पष्ट नहीं है। परन्तु इस चरण में यह कथन कि फर्द मौका तैयार किया, विकेता एवं मालिक व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए स्वीकार है क्योंकि उक्त हस्ताक्षर अप्रार्थी व गवाहों से बाहर गाड़ी में करवाए गए थे। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से कोई मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के उपनियम 2,4,2(6) के अन्तर्गत अपराध नहीं किया परन्तु अगर न्यायालय प्रार्थी को सैक्शन 54 में वर्णित जुमाना नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी पर लगाते है तो प्रार्थी उक्त जुर्माना न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। अतः पत्रावली में प्रार्थी के खिलाफ अमल में लाई गई कार्यवाही को ड्रोप किए जाने का आदेश पारित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Kasar Bati (Sweet Made by milk, Sugar and colour)**" bearing Code No. and Sr. No. **K-1153** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Food containing extraneous matter Under section 3.1(i) of Food Safety and Standards Act-2006.due to added starch found present. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त राजन अनोप सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपुरोहित निवासी बडा मन्दिर काम्पलेक्स रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर फर्म मै. जोधपुर स्वीट कॉर्नर, 5 सी ब्लॉक, रविन्द्र पथ रोड़, श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त अनोप सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह राजपुरोहित को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **केसर बाटी (दूध चीनी, कलर से बनी मिठाई)** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना राखी रो की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर